नागरिक सुरक्षा योजना

2026

जिला–भरतपुर (डीग सहित)

(कमर उल जमान चौधरी) आई.ए.एस
नियंत्रक एवं जिला कलक्टर
नागरिक सुरक्षा विभाग, भरतपुर–राज.

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	1
	भाग – I	
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	1(1)
	भाग – II	
03	जिले की रूपरेखा व जिला प्रशासन	4–27
	भाग – III	
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	28–30
05	मुख्यालय सेवा (Headquarter Service)	31–33
06	संचार सेवा (Communication Service)	33–36
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	36–37
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	37–38
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	38–39
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	39–40
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	40
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	40
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	41
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	41
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	42–43
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	43–44
	भाग – IV	
17	निष्क्रमण (Evacuation)	45–46
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	47
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	48
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	49–50
	भाग – V	
21	रासायनिक युद्ध	50–52
22	जैविक युद्ध	52–54
23	परमाणु युद्ध	54–60
	भाग – VI	
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	61–63
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	64–79
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	81,82,84

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, भरतपुर

Email id:- cd.bha.rj@nic.in, Telephone No. 05644-223595

क्रमांकः नासु/भरत./2026/491 दिनांक :–15/05/2026

–:प्रमाण–पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम **(Revised Edition 2011)** के **Chapter VI** के बिन्दु संख्या 6.5 के तहत् जिला भरतपुर (जिला डीग को शमिल करते हुए) में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा जनशक्ति व संसाधनों की उपलब्धता एवं जिले में आपदा/विपदा व हवाई हमले की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/स्थानों **(Vital Areas/Vital Point)** के आधार पर जिला नागरिक सुरक्षा योजना का दिनांक 15.05.2026 तक अद्यतन कर लिया गया है।

(कमर उल जमान चौधरी)
नियंत्रक एवं जिला कलक्टर
नागरिक सुरक्षा भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्धि हुई है। भरतपुर व डीग जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे–युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, औद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहयोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। भरतपुर जिले डीग सहित की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 26.04 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा भरतुपर (डीग सहित) शहर का नगरीय क्षेत्र नागरिक सुरक्षा कैटेगरी II घोषित है।

दिनांक : 15/05/2026

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय व संगठन

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य **"नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा"** करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए

Scanned with OKEN Scanner

जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर "नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन" किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका "बाहरी आक्रमण/हवाई हमला" के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को "नागरिक सुरक्षा जिले" घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें भरतपुर जिला भी सम्मिलित है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

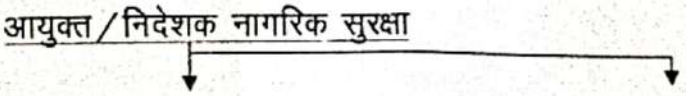

Scanned with OKEN Scanner

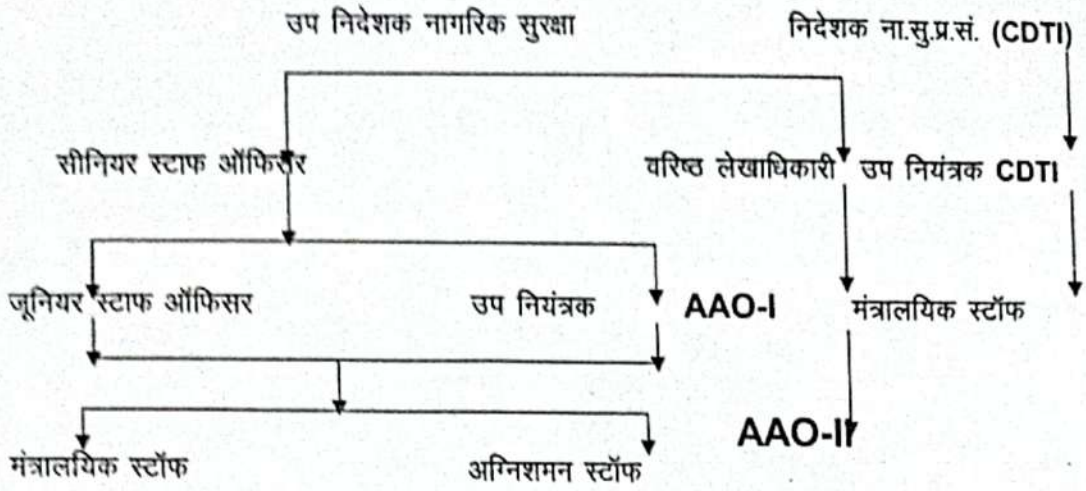

(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

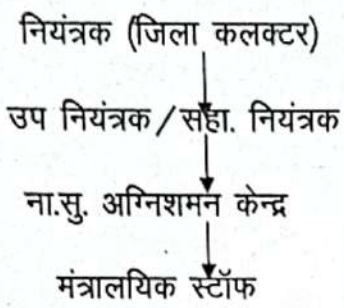

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात्, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009" जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल "बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा" के साथ ही सैकेण्डरी रोल "आपदा प्रबन्धन" भी कर दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

भाग – II

भरतपुर जिले(डीग सहित) की रूपरेखा व जिला प्रशासन

2.1 भरतपुर जिले का नक्शा

डीग जिले की रूपरेखा

डीग जिले का नक्शा

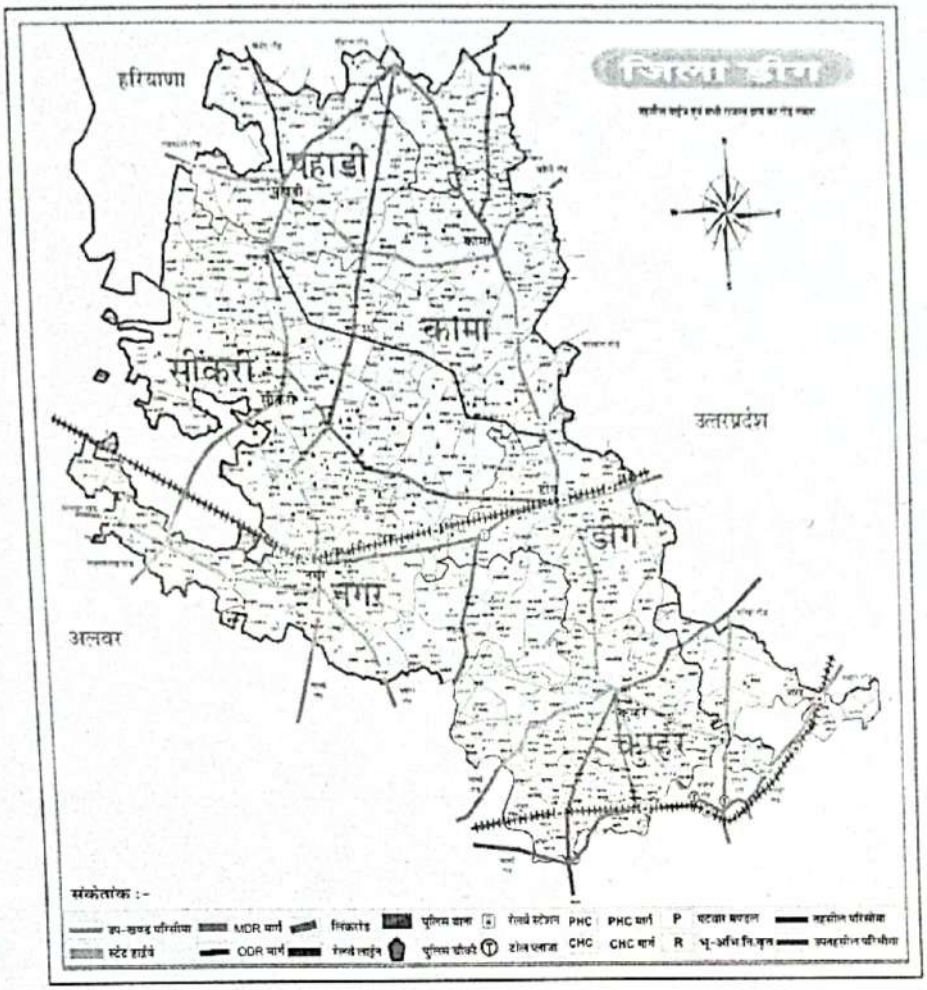

2.2 भौगोलिक स्थिति – जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2156.33 वर्ग किलोमीटर है तथा कृषि योग्य भूमि का फल 1.85 लाख हैक्टेयर है। जिले का भौगोलिक धरातल कटोरेनुमा है तथा वार्षिक औसत वर्षा 558 मि.मी. है। के अधिकांश भू–भाग में भूमि जल खारी है एवं अधिकांश भू–भाग क्षारीय है। जिले की प्रमुख नदी रूपारेल है। बरसाती नदी है।

डीग जिले में अनूठी जल प्लावन सिंचाई प्रणाली विद्यमान है, जिसका निर्माण रिसायत काल में तत्कालीन कों द्वारा इस क्षेत्र से बह रही वर्षाकालीन नदियों के पानी को पेयजल एवं जल प्लावन सिंचाई सुविधा प्रदान करने साथ–साथ बाढ़ नियन्त्रण किए जाने हेतु कराया गया था। जिले में विद्यमान सिंचाई प्रणाली मुख्यतः गुडगांव मुख्य पर निर्मित है। डीग जिला राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला भरतपुर जिले के उत्तरी भाग में ा है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। डीग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से ग 174 मीटर (570 फीट) है। डीग जिले की जलवायु अर्द्ध–शुष्क है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान अत्यधिक बढ़ ा है और सर्दी के मौसम में तापमान काफी गिर जाता है। यहाँ की जलवायु निम्न प्रकार की होती है:

- गर्मी: मार्च से जून तक चलती है, इस दौरान तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है।
- मानसून: जुलाई से सितंबर तक रहता है, इस दौरान औसत वर्षा होती है, जिससे कृषि को लाभ होता है।
- सर्दी: अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

2.2भौगोलिक स्थिति – भरतपुर जिला राजस्थान के पूर्व में स्थित है। भरतपुर जिले को राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण (भरतपुर को) राजस्थान का 'प्रवेश द्वार' कहा जाता है। जिले के उत्तर में हरियाणा राज्य का गुडगांव जिला, पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य का मथुरा एवं आगरा जिला दक्षिण में राजस्थान राज्य का धौलपुर जिला तथा दक्षिण – पश्चिम में करौली व दौसा जिले एवं पश्चिम दिशा में अलवर जिला स्थित है। भरतपुर जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। स्थिति एवं विस्तार की दृष्टि से इसका अक्षांशीय विस्तार 26'22 से 27'50" उत्तरी अक्षांशो तथा देशांतरीय विस्तार 76'53" से 78'11" पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है एवं भौतिक विभाग की दृष्टि से जिले का सम्पूर्ण भाग लगभग मैदानी है जिसके उत्तर एवं दक्षिणी भागों में कहीं – कहीं पहाड़ियाँ है। भू – आकृतिक रूप से जिले में सात प्रकार की भू – आकृतियाँ पायी जाती है, मिट्टी की दृष्टि से भरतपुर जिला समृद्ध है। जिस पर क्षेत्र की समृद्धि एवं सम्पूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। जिले का जलवायु की दृष्टि से भी राज्य मे महत्वपूर्ण स्थान है।

2.3 सामान्य जानकारी :– जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जिले में नगर निकाय
1	भरतपुर	भरतपुर	–	-	नगर निगम, भरतपुर नगरपालिका कर नगरपालिका भुसावर नगरपालिका बयाना नगरपालिका रूपवास नगरपालिका उच्चैन नगरपालिका नदबई
2	नदबई	नदबई	नदबई	1. AKHEGARH 2. ATARI 3. BACHHAMADI 4. BAHRAMDA 5. BARAULI CHHAR 6. BARAULI RAN 7. BHADEERA 8. DEHRA 9. ENCHERA 10. GADAULI 11. GAGWANA 12. GANGROLI 13. HANTRA 14. JAHANGEERPUR 15. JHARKAI 16. KAREELI 17. KARHI 18. KATARA 19. KAWAI 20. KHANGRI 21. KHATAUTI 22. KHEDI DEVISINGH 23. LAKHANPUR 24. LUHASA 25. MAI 26. NAM 27. NAYAWAS 28. NYOTHA 29. PAHARSAR 30. PARASWARA 31. PIPRAU 32. RAYSEES 33. RONEEJA 34. TALCHHERA 35. UNCH 36. UTARDA	

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

				25. MOROLI 26. NAGLA BADRIPUR 27. NIGOI 28. PANHORI 29. PARAMDRA 30. PASOPA 31. PASTA 32. SAMAI 33. SHYORAWALI 34. SINSINI 35. SISWARA 36. SONGAON 37. TODA	
३	बयाना	बयाना	बयाना	1. BAGREN 2. BAJNA 3. BANDH BARETHA 4. BARKHEDA 5. BARODA 6. BEERAMPURA	
				7. BIDYARI 8. BRAHAMBAD 9. DAHGAON 10. DHADREN 11. FARSO 12. GAZIPUR 13. GURDHA NADI 14. HARNAGAR 15. JAISORA 16. JASPURA MOROLI 17. KAIR 18. KALSARA 19. KANAWAR 20. KAPOORA MALOOKA 21. KARWARI 22. KHANKHERA 23. KHARERI 24. KHERLI GADASIYA 25. KHOHRA 26. KHOOT KHERA 27. LAHCHORA KALAN 28. MAHLONI 29. MAHMADPURA 30. MAHRAWAR 31. MILAKPUR 32. NAHROLI 33. NAROLI 34. NAWALI 35. PALIDANG 36. PARUA 37. PURABAI KHEDA 38. SALABAD 39. SAMOGAR 40. SEEDPUR 41. SHAHPUR 42. SHERGARH 43. SINGHANIYA 44. SINGHARA 45. TARSOOMA 46. THANA DANG	
५	वैर	वैर	वैर	1. AMOLI 2. BAJHERAKALAN 3. BHOOTAULI 4. CHAK DHARSONI 5. DHARSONI 6. GANGROLI 7. GOVINDPURA 8. HALENA 9. HATAURI 10. HATEEJAR 11. JAGIIWANPUR 12. JAHANPUR 13. JEEWAD 14. KHERLI GOOJAR 15. LAKHANPUR 16. LALIA MOODIYA 17. MOLONI 18. PALI 19. RAHEEMGARH 20. RAIPUR 21. SAMRAYA 22. SARSAINA	

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

				23. SIRAS 24. SUHANS 25. UMREND	
5	भरतपुर	भरतपुर	सेवर	1. BACHHAMADI 2. BANSI KHURD 3. BARSO 4. BEHNERA 5. BILOTHI 6. CHICKSANA 7. DHORMUI 8. FULWARA 9. GAMDI 10. GHUSYARI 11. HATHENI 12. IKRAN 13. JAGHINA 14. JATOLI RATHWAN 15. JHAROLI 16. KHEMRA 17. KUMAHA 18. LUDHAWAI 19. MADARPUR 20. MADONI 21. MAHUWA 22. MALAH 23. MOROLI KALAN 24. MUDOTA 25. MURWARA 26. PAR 27. PEEPLA 28. RAMPURA 29. RUNDH IKRAN 30. SUNARI 31. TUHIYA 32. UNDRA	
6	रूपवास	रूपवास	रूपवास	1. BHAWANPURA 2. BINUAN 3. BURANA 4. CHENKORA 5. DAHINAGAON 6. DAURDA 7. DHANA 8. DUMARIYA 9. IBRAHIMPUR 10. JATMASI 11. JOTROLI 12. KANJOLI 13. KHAN SURJAPUR 14. KHANUA 15. KHERA THAKUR 16. MADAPURA 17. MAHALPUR CHURA 18. MAHALPURKACHHI 19. MALONI 20. MARAULI 21. MERTHA 22. MILSAWA 23. NAYAGAON 24. NIBHERA 25. NOHARDA 26. ODEL GADDI 27. PAHARPUR 28. RUDAWAL	

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

७	भुसावर	भुसावर	भुसावर	1. ALIPUR 2. BADEKHAR 3. BACHRAIN 4. BALLABH GARH 5. BARAULI 6. BHAISEENA 7. CHAINTOLI 8. CHHOKARWARA KALAN 9. DEEWALI 10. GHATARI 11. GOGERA 12. ITAMADA 13. JHAROTI 14. KAMALPURA 15. MAINAPURA 16. NAIWARA 17. NAROLI 18. NITHAR 19. PATHENA 20. RANDHEER GARH 21. SALEMPUR KALAN 22. SALEMPUR KHURD 23. SENDHALI 24. SUHARI	
९	उच्चैन	उच्चैन	उच्चैन	1. AGHAPUR 2. ANDHIYARI 3. BARAH MAFI 4. BARIGHA 5. BEHRAREKHPURA 6. BHAINSA 7. CHICHANA 8. EKTA 9. FATEHPUR 10. GHALAU 11. KALYANPUR 12. KHADERA 13. KHARERA 14. KHUDASA 15. KURKA 16. MUDHERA 17. NAGLA BEEJA 18. NAGLA TEHRIYAN MAFI 19. PICHUNA 20. PINGORA 21. SADPURA 22. SAHANA 23. TEHRA LODHA 24. UCHCHAIN	1.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य जानकारी :– जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	डीग	डीग/जनूथर	डीग	कासौट कौंरेर खेडाब्राहमण सांवई बरौलीचौथ बहज इकलेरा बद्रीपुर अऊ बदनगढ कुचावटी सौंनगांव सिनसिनी श्यौरावली खोहरी पान्हौरी दांतलौठी मवई मौरोली जाटौलीथून जनूथर बेढम ककडा शीशवाडा टोडा निगोही बंधाचौथ बरई परमदरा पास्ता धमारी दिदावली

Scanned with OKEN Scanner

				गुहाना खोह चुल्हैरा पसोपा गढीमेवातू ~~जिले के स्थानीय निकाय~~ (1) नगरपरिषद् डीग (2) नगरपालिका कामां (3) नगरपालिका कुम्हेर (4) नगरपालिका नगर (5) नगरपालिका सीकरी
2.	कुम्हेर	कुम्हेर/रारह	कुम्हेर	अभौर्रा अजान आजउ अस्तावन अवार बौरई बावेन भटावली बैलाराकला बिरहरू डहरा दांदू धनवाडा गुदावली गुनसारा हेलक कूम्हां लखन महरावर पाहुआ पला पपरेरा पिचूमर रारह रीठौटी रूंधहेलक

Scanned with OKEN Scanner

				सावौरा सांतरूक सैंत सिकरोरी सोगर ताखा तालफरा तमरेर थैरावर उसरानी उवार
3.	कामां	कामां / जुरहरा	कामां	करमूका लुहेसर सहेडा विलौंद पल्ला गढाजान नन्देरा गांवडी मूसेपुर जुरहरा बरौली धाऊ छिछरवाडी सुनहरा ओलन्दा धिलावटी धर्मशाला सबलाना भण्डारा गाढीझीलपट्टी बौलखेडा ऐचवाडा बिलग लेवडा नौनेरा कनवाडा पाई खेडलीगुमानी सतवास

Scanned with OKEN Scanner

				सोनोखर उदाका नौगावा बामनी जुरहरी अकाता
4.	पहाडी	पहाडी	पहाडी	धोलेट छपरा बमनबाडी भौरी कैथबाडा भैंसेडा लिवासना जोतरीपीपल गंगोरा खण्डेवला मांतूकी पीपलखेडा पहाडी गोपालगढ खेडलानौआबाद मालीकी पापडा जोतरूहल्ला धीमरी घीसेडा घाटमीका घोसिगा जीराहेडा लाडलाका सहसन सोमका मूंगसका लाडमका सांवलेर कठौल खेडलीमन्ना सतवाडी रॉफ बोडोली डहर पथराली

Scanned with OKEN Scanner

5.	नगर / सीकरी	नगर / सीकरी	नगर / सीकरी	आलमशाह बेरूं भटपुरा चिरावलमाली डाबक दुंदावल फतेहपुरकलां गहनकर गंगावक गुलपाडा जयश्री जलालपुर जालूकी झंझार ककराला खखावली खेस्ती खोहरी बासबुर्जा बेला मानौताकलां मोराका मूंडिया मूडौती मुढेरा पडलवास पालका पेण्डका पुनॉय रसिया रायपुर सुकेती सादपुरी सैमलाकलां सैमली सिहावली सिरथला सुन्दरावली तरोडर तेस्की

Scanned with OKEN Scanner

				थून उडकीदल्ला नांगल

Scanned with OKEN Scanner

2.4 नदियां व बांध –

नदी का नाम	प्रभावित ग्राम/क्षेत्र
बांणगंगा नदी	• पथैना कैनाल हैड – प्रभावित क्षेत्र – ➢ तह.–वैर पथैना, महाराजपुरा, नवलपुरा, खदराया, नैवारी, अखैगढ, सेमपुर। ➢ तह.–नदबई आगे भदीरा, उसेर। ➢ तह.–कुम्हेर तथा दहवा, विरहरू, कुरवारा, लांकी, थेरावर, उसरानी। ➢ तह.–डीग सिनसिनी, माढेरा डीग। • सैडल नं. 2 व सैडल नं. 3 – प्रभावित क्षेत्र – ➢ तह.वैर–भैसीना, बिजवारी, जहानपुर, सरसेना, मुखैना, भूतौली, न. हेतराम, पाली, नया गांव, गाजीपुर इत्यादि । ➢ तह.नदबई–न्यौठा, नूरपुर खांगरी, नाम, झारकई, गुदावली, अरोदा, हन्तरा, डहरा, रैना, बीलौठ, भाहपुर, बुखारी, कवई, बैलारा, नदबई, लुलहारा भाहपुर, पहरसर, गादौली इत्यादि। ➢ तह.कुम्हेर–पपरेरा, भटावली, गुहावली, आजउ, पाहुआ, धनवाडा, पूंठ, चकबनी, न. मना, नगला गंगा, चिमनी, सररसई, बांसरौली, बावेन, सत्यनगर, डहरा, बौरई, सैह, इत्यादि। ➢ तह.भरतपुर–हेलक, हिण्डौला, बहुआ, सिनपिनी, सेवर, गुदावली, पडौला, सीही, बनी, भाण्डौर, अवार, तुहिया इत्यादि। • बारा, ललिता मूड़िया, मंदिर गांव, धरसोनी, बरखेडा – प्रभावित क्षेत्र ➢ तह.वैर हलैना, खेडली गूजर, मूडिया, न्यामदपुर, हतीजर, धरसोनी, मंदिरगांव, बेवर। ➢ तह.नदबई–झामरी, डहरा, अरौदा, हन्तरा, भाहपुर, बीलौठ, बरखेडा, लुलहारा। • खरवेरा – प्रभावित क्षेत्र – ➢ तह.वैर – रमासपुर, खरवेरा के पास के नगले, नया बरखेडा, बांसी,लुहासा। ➢ तह. बयाना – गुर्धा, नगला होता, फरसो, खोरा, पिदावली, नगला बहादुरिया, वीरमपुरा,मिलकपुरा, सिंघाड़ा। • बरखेडा, नगला मई – प्रभावित क्षेत्र – ➢ तह.नदबई – बरखेडा, नगला मई, मई लखनुपर, रोहिला, जहांगीरपुर, बछामदी, सैंत, ➢ तह. भरतपुर – मुरवारा, अड्डी बंध। • भोखपुर, दूदूपुरा – प्रभावित क्षेत्र – ➢ तह.बयाना – खेडली गढासिया, दूदूपुरा। ➢ तह.नदबई – गोबरा, भोखपुर, जहांगीरपुर। ➢ तह.रूपवास – बहरा रेखपुरा पना, नगला तेहरिया।

Scanned with OKEN Scanner

गंभीर नदी	• **पांचना बांध** – तह.रूपवास–रीठौठी, पीपरी, मिलकपुर, हाडौली, कुन्देर, मुढेरा। • **चौखण्डा** – तह.रूपवास–चोखंडा, ककरऊआ, कंजोली, माडापुरा, श्रीनगर, बोसोली, मडोली। • **कुरका मार्जिनल** – तह.रूपवास–कुरका, पीलू का नगला, छटी का नगला, सोनौठी, बहरावली, मदरियापुरा, वं ी बागरी, भैंसा। • **खुडासा** – तह.रूपवास–खुडासा, बाघा, चन्दनपुरा, चक खुडासा, चांदौली।
रूपारेल नदी	• **तह.नगर** – सीकरी, गाजूका, गोलपुरा, कैथवाडा, रॉफ, डाबक, मातूकी, पथरौली, खेरली, रामपुरा, मोहनपुरा, निहाय, पीपलखेडा, वर्दी, सतवारी, बिहारी, आलमपुर,गोपालगढ, नगर, जयश्री, बेरूं, विधारी, कुरकैन, बनौरी, धोकला, पडलवास, इत्यादि । सहसन, लाडलाका, हुसना, कबतरिया, हल्का, खेडली काजी, वमनपुरा, कचनेरा। • **तह. कामा** – करहरी, सादपुरा उहलखेडा, खेडा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सागवैर, मल्हाका, हीराहेडा इत्यादि। • **तह.डीग** – ककड़ा बेडम, पूछरी, डबारा, जनूथर, मौरोली, कुचावटी, अऊ, डीग, क्षोह, महमदपुर, बंधा चौथ, बहत, खालसा, बरई, निगोही, भाहपुर, बहज, दिदावली माढेरा, तमरेर, करऊआ, सेंहती, न. चाहर, कटैला, इत्यादि। • **तह.कुम्हेर** – गांगरौली, नगला कूम्हां, नगला लखन, नगला समनका, इन्दूका, नगला दांदू का, नगला खनका, अधैया, सूरौता, सुनारी, अभोर्रा, बेलारा, नगला गोपाल, बाबूला, सेह, बोरई, बावेन, उवार, डहरा। • **तह.भरतपुर** – भांडोर, सोगर, तुहिया, अवार, भरतपुर भाहर क्षेत्र, जघीना, पीपला, बछामदी, नोह, मैनड्रेन।

District Deeg

जिले की प्रमुख नदी रूपारेल है। यह बरसाती नदी है। सामान्यतः यह मैदानी क्षेत्र, मैदानी वन प्रदेश व विभक्त पहाड़ियों से युक्त है।

क्र. स.	जिला	बांधो का विवरण			कुल जल भराव क्षमता (एमसीएफटी)			सी.सी.ए. हेक्टयर में		
		जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल	जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल	जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डीग	10	24	34	210.10	388.91	599.01	14804	1934.79	16738.79

बांधों का वर्गीकरण

क्र.सं.	जिला	वृहद बांध		मध्यम बांध		लघु सिंचाई बांध	
		संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीग	1	–	–	–	9	210.10

जल संसाधन विभाग द्वारा संधारित बांध

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	जिला	बांध का नाम	कुल डिजायन		सी.सी.ए. (हेक्टेयर में)	वर्ष 2022 में प्राप्त पानी गेज फीट में
			गेज फीट में	भराव क्षमता एमसीएफटी		
1	2	3	4	5	6	7
1	डीग	सीकरी	11.00	Diversion	10467	0
2	डीग	आलमपुर	6.20	15.30	483	4.00
3	डीग	डाबक	5.23	7.00	390	3.40
4	डीग	डरावना	4.80	5.00	374	0.00
5	डीग	कैथवाडा	6.20	10.00	447	5.00
6	डीग	पापडा	15.00	11.50	768	0.00
7	डीग	रॅफ	5.00	10.00	427	2.40
8	डीग	अऊ	3.32	40.30	336	0.00
9	डीग	जनूथर	6.00	28.00	352	2.00
10	डीग	कुचावटी	4.50	83.00	760	0.80
	योग: खण्ड डीग		**67.25**	**210.10**	**14804**	**17.6**

पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित बांधो की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	डिजायन भराव क्षमता **MCUM** में	डिजायन भराव क्षमता **MCFT** में	सी.सी.ए. हेक्टेयर में
1	पथरोली बांध	नगर	0.32	11.19	161.94
2	कुरकैन बांध	नगर	0.20	6.99	64.77
3	डहरी बांध	नगर	0.28	9.99	251.01
4	ब्यारी बांध	नगर	0.13	4.48	178.13
5	बूडली बांध	नगर	0.22	7.77	24.29
6	सतवारी बांध	नगर	0.37	12.99	242.91
7	बडवारा बांध	डीग	0.94	33.19	56.68
8	ककडा बांध	डीग	0.57	20.13	161.94
9	पान्होरी बांध	डीग	0.33	11.65	24.29
10	शीशम बांध	डीग	2.10	74.15	191.94
11	चुल्हेरा बांध	डीग	0.26	9.00	24.29
12	करमुका बांध	डीग	0.23	7.98	25.91
13	निगोई बांध	डीग	0.43	15.18	80.97
14	पसोपा बांध	डीग	0.85	30.01	93.11
15	सबलगढ बांध	कामां	2.27	80.16	74.93
16	कामा प्रोटेक्शन	कामां	0.00	0.00	0.00
17	सबलाना बांध	कामां	0.23	7.98	25.91
18	इन्रौली बांध	कामां	0.14	4.98	8.09
19	बौलखेडा बांध	कामां	0.20	6.99	40.48
20	धाउ बरोली बांध	कामां	0.18	6.36	32.38
21	अगरावली बांध	कामां	0.20	6.99	32.38
22	अगमा बांध	कामां	0.17	6.00	40.48
23	गढअजान बांध	कामां	0.13	4.73	4.85
24	खोरा बांध	कामा	0.28	9.99	93.11
	योग: डीग		**11.01**	**388.91**	**1934.79**

Scanned with OKEN Scanner

2.5 परिवहन :–

सड़क :– जिला भरतपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्गों का विवरण निम्नानुसार है:–

राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग
एनएच–21 – दौसा–भरतपुर–आगरा	• एसएच–1 – झालावाड़–भरतपुर • एसएच–14 – भरतपुर–अलवर–नारनोल • एसएच–22 – मण्डरायल–पहाडी • एसएच–23 – भरतपुर–धोलपुर • एसएच–44 – अलवर–भरतपुर • एसएच–44ए– कुम्हेर–सोंख • एसएच–43–बाडी –सोंख • एसएच–45–रामगढ–फतेहपुर सीकरी • एसएच–105 भरतपुर बायपास

वायु मार्ग – भरतपुर के सबसे नजदीक 50 किलोमीटर दूर आगरा व दूसरा सांगानेर (जयपुर) हवाई अडडा है।

रेल मार्ग – भरतपुर रेल मार्ग के माध्यम से देश के लगभग सभी राज्यों में यात्रा की जा सकती है।

जिला डीग

- वायु मार्ग – आपातकाल के लिए पला हवाई पट्टी कुम्हेर में उपलब्ध है।
- रेल मार्ग – डीग जिले में रेलवे स्टेशन संचालित है।
- सड़क मार्ग –
- राज्य राजमार्ग का नाम
  - **SH-43** Bari-Baseri-Baretha, Uchain Bharatpur Sonkh road(Bari to Sonkh Road) 6/0 to 19/300
  - **SH-44** Natani ka Bara to Kaman Kosi Road (upt State Border) via Malkhera Laxman Garh Kathumar Nadbai, Kumher, Deeg(b) 9(0/0 at Natani Ka Bara) end at Kaman Kosi Road-39.20 Km (a) 0/0 to 30/0 (0 at Deeg)-30 Km
  - **SH-44A** Kumher Sonkh Road (0 at Kumher) Km. 0/0 to 12/0
  - **SH-14** Bharatpur to Narnol (State Border) via Deeg, Nagar, Alwar, Behror (0 at Bharatpur) end Narnol. 35/0 to 75/300
  - **SH-22** Mandrayal to Pahari via Karauli, Hindaun, Mahwa, Kherli Nagar(0/0 at Mandrayal) end at Pahari, 157/0 to 184/0 (0/0 at Kherli)
  - **SH-45** Ramgarh Fatehpur Sikri Road (Upto State Border) via Govindgarh, Sikri, Nagar, Nadbai, Weir, Bayana, Rudawal. (0/0 at q Ramgarh) Km. 29/0 to 34/0 & 156/0 to 169/0

Scanned with OKEN Scanner

District Collectorate Contacts Directory Bharatpur

Sr.	Name of Officer/Employee	Post	Mobile no.	Landline (Office)	Landline (Home)	Office Name	Department Name	Other Info.
1	Mr. Qummer Ul Zaman Choudhary	District Collector, Bharatpur	7409812252	223086 223355	223316 223477	DM Bharatpur		DLO
2	Sh. Digant Anand IPS	SP Bharatpur	9911955226	223116	223366, 8764505201		Police	DLO
3	Smt. Neelima Takshak	ADC	9636852892			DC officer	DC	DLO
4	Shri Ghanshyam Sharma	Additional District Collector (Administration)	9414274896	222545	223089	ADM Bharaptur		DLO
5	Mr. Rahul Saini	Additional District Magistrate (City)	9990464524	223592	223075	ADM (City) Bharatpur		DLO
6	Sh. Mradul Singh	CEO ZP	9998945443			Zila Parishad	Zila Parishad	DLO
7	Sh. Kanishk Katariya	Commissioner BDA	9413389523	230688	222663	BDA	BDA	DLO
8	SMT Rekha Rani	Add.CEO ZP	8947074357	223647	221874	Zila Parishad	Zila Parishad	DLO
9	Shri Sunil Arya	Land settlement officer	9521576930	222684	224648			DLO
10	Shri Shravan Kumar Vishnoi	Commissioner Municipal Corporation	9468596100	223147]222170	223459	Nagar Nigam		DLO
11	Mr. Munidev Yadav	DIG Stamp	9414580033	222297	222972	DIG Stamp		DLO
12	Shri Richhpal Singh	Revenue Appellate Authority	9414163801	223572	222523	RAA	RAA	DLO
13	Shri Sikarmaram Choyal	Deputy Director, Women and Child Development	9829264632	223688		ICDS	ICDS	DLO
14	Mr. Pawan Agarwal	District Supply Officer	9413094860	222584		DSO		DLO
15	Ms. Bharti Bhardwaj	Assistant Director Public Service Cell Bharatpur	9413161170	222584		Loksewa Cell		DLO
16	Sh. Lokendra Singh	Treasurer Bharatpur	9694147048	223575		Treasury Bharatpur		DLO
17	Mr. Rajesh Chowdhary	DD Women Empowerment	9460115303			Women Empowerment	Women Empowerment	DLO
18	Shri Rameshwar Singh	Chief Planning Officer	9887964552	222467	222723	CPO		DLO
19	Mr. Shyam Sundar Sharma	Joint Director, Social Welfare	9828354511	223576		SJE		DLO
20	Mr. Amit Awasthi	Child Rights Department	7042350937	220331		ICDS		DLO
21	Bharati Gupta	Sub-Divisional Officer weir	9530269345	222476	222876	SDM Bharatpur	SDM	DLO, Additional Chage of ACM BPR
22	Shri Narendra Kumar	Superintending Engineer	9413348355	222731		SE, PHED Circle Bharatpur		DLO

Scanned with OKEN Scanner

Sr.	Name of Officer/Employee	Post	Mobile no.	Landline (Office)	Landline (Home)	Office Name	Department Name	Other Info.
23	ी रिs चंद मीना	अधीक्षण अभि0	9414847135	222745	223761			DLO
24	Sh. Joiya	पीडी एनएचएआई दौसा	8130006151	01427-224918				DLO
25	Sh. Suresh Naval	Secretary BDA	9929333880			BDA		DLO
26	Banay Singh	SE Water Resources	9414282868	222552	222572	Water Resources		DLO
27	Amar Singh Vidhuri	PD ATMA	8890527363			PD ATMA		DLO
28	Shri Vivek Kumar Dixit	Joint Director	9413243121			DOITC DHQ	DOITC	DLO
29	Mr. Pushpendra Kuntal	ACP	9783506635			DOITC DHQ	DOITC	DLO , 8005572401
30	Mr. Sachindra Chaturvedi	Deputy Registrar, Co-operative	8209992819	223594	222528		Co-operative	DLO
31	Mr. Rohit Singh	MD CCB	7073237011					DLO
32	Shri Ramprakash	Joint Director Statistics	8949690893	222723		Statistics	Statistics	DLO
33	Shri Suresh Gupta	Joint Director Agriculture	9414941632	222604			Agriculture	DLO
34	Shri Chandramohan Gupta	General Manager, District Industries Centre	9414416212	222422	223601		DIC	DLO
35	Mr. Naresh Verma	SRM RIICO	9414061906	222881	222981		RIICO	DLO
36	Mr. Umesh Kumar	RO Pollution Control Board	9509508226	228114			Pollution	DLO
37	Dr. Nagendra Singh Bhadoria	Principal Medical Officer PMO	9784742909			RBM Hospital	Medical & Health	DLO
38	Dr. Gaurav Kapoor	Chief Medical and Health Officer CMHO	9414694056			Swasthya Bhawan CMHO Office	Medical & Health	DLO
39	Dr. Amar Singh Saini	RCHO	9664432596			Swasthya Bhawan CMHO Office	Medical & Health	DLO
40	Dr. Vivek Bharadwaj	Principal Medical College	-			Medical College		DLO
41	Dr. Ram Kishan Mahawar	Joint Director Animal Husbandry	9828193335				Animal Husbandry	DLO
42	Mr. Sohan Lal Choudhary	(Additional Charge) Superintendent Museum	9414455543	228185		Museum, Kila Bharatpur		DLO
43	Mr. Mukesh Kumar Meena	Assistant Commissioner, Devasthan	8104577800	228405				DLO
44	Mr. Premraj Verma	Divisional Sanskrit Education Officer	9928922039					DLO
45	Shri Anit Sharma	Chief DEO (Charge)	9413300717				Education	DLO
46	Mr. Dalveer Singh	DD English Medium School Education	8005519557				Education	DLO
47	Mr. Atul Chaturvedi	DEO Primary (Head Office)	9460683595				Education	DLO

Scanned with OKEN Scanner

Sr.	Name of Officer/Employee	Post	Mobile no.	Landline (Office)	Landline (Home)	Office Name	Department Name	Other Info.
48	Shri Surendra Gopalia	DEO Secondary(Head Office)	9460880388				Education	DLO
49	Mr. Rohitash	CO Hindustan Bharat Scout and Guide	8058864528			CO Hindustan Bharat Scout and Guide	CO Hindustan Bharat Scout and Guide	DLO
50	Mr. Devendra Kumar	Bharat Scout and Guide	9636233132			Bharat Scout and Guide	Bharat Scout and Guide	DLO
51	Mr. Rupendra Kumar	Inspector, Factories & Boilers	9437495436				Factories & Boilers	DLO
52	Shri Sanket Modi (Charge)	joint labour commissioner	8053115665				labour	DLO
53	Mr. Saurabh Sinha	Circuit House Manager	9414773675					DLO
54	Mr. Shishir Trivedi	LDM PNB	7800991001					DLO
55	Shri Khaimchand Sharma	Minority Welfare Officer	9829586397	220364		Minority Welfare Office	Minority	DLO
56	Mr. Sanjay Johri	Joint Director Tourism	9829224354	222542			Tourism	DLO
57	Shri Hari Om Singh	Deputy Director Information and Public Relations	9414712478				PRO	DLO
58	Shri K.C. Goyal	mining engineer	9414035584				Mines	DLO
59	Shri Raghuveer Singh	DD, District Employment Officer	9461408808	223478	229024	District Employment Office	Employment	DLO
60	Sh. Pawan Sharma	AEn RIDCOR	9719300400			RIDCOR		DLO
61	Shri Harikishan Agarwal	XEN Chambal	9982687390	232423	227594		Chambal Project	DLO
62	Sh. Sunil Sharma	SME	8107616064	222421			Mines	DLO
63	Sh. Paramjit Singh	Superintendent Jail Sewar	9694725046	260282	260582			DLO
64	Shri Chetan Kumar	Deputy Conservator Forest	9481024598	222488	223289			DLO, निदेशक घना.
65	Smt. Indu meena	RTO	9694001107	260199				DLO
66	Shri Abhay Mudgal	DTO-1	8920054037	260108@260106	226085		DTO	DLO
68	Shri Rakesh Saini	Chief Manager(Lohagarh)	9549653193	260277			Roadways	DLO
69	Shri Shakti Singh	Chief Manager (Bharatpur)	9549653205	260289			Roadways	DLO
70	Sh. Rajeev Sharam	DEO	7297864261	225477, 220325	236053	Excise Office Kila Bharatpur	Excise	DLO
71	Shri Suryakant Pandey	District Industries Officer	9664075162				DIC	DLO
72	Shri Deshraj Singh	Additional Director, Agriculture Oil Seeds	9414023137	222666	222092		Agriculter	DLO

Scanned with OKEN Scanner

Sr.	Name of Officer/Employee	Post	Mobile no.	Landline (Office)	Landline (Home)	Office Name	Department Name	Other Info.
73	Shri Yogesh Sharma	PD ATMA	9414543030				Agriculter	DLO
74	Shri Janak Ram Meena	Deputy Director Horticulture	9772868644	225882	228392		Agriculter	DLO
75	Shri Amar Singh	Assistant Director Horticulture	9414376576	7976439227			Agriculter	DLO
76	Sh. Rajesh Narayan Jat	MD Dairy	9549655258	221424	231145		Co-Operative	DLO
77	Shri Sanket Modi	Joint Labour Commissioner	8053115665	222708	&			DLO
78	Mr. Gaurav Kumar	Joint director	9784578303	222123			SIPF	DLO
79	Col. Anil Kumar Choudhary	Soldier Welfare Officer	9121583184	223707	223707		Other State Govt Dept	DLO
80	Shri Sunil Rana	Deputy Director, Nehru Yuva Kendra	9414028288	260672	223103		Other State Govt Dept	DLO
81	Shri P.K. Lawania	Assistant Director L.F.A.D.	8078667468	224075	223808		LFAD	DLO
82	Shri B.K. Singh	Joint Director Pension	9414715702	220631	220121		Other State Govt Dept	DLO

© 2026 Anuj Sogarwal, Assistant Programmer DOIT, Bharatpur(9571941424). All Rights Reserved.

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री मयंक मनीष	जिला कलक्टर, डीग	294000		8972249713
2	श्री राजकुमार कस्वा	अति0 जिला कलक्टर, डीग			9950126926
3	श्री मुकेश	उपखण्ड अधिकारी, डीग			8827425220
4	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीग			8005812873
5	श्री मुनीदेव यादव	डी0आई0जी0 स्टाम्प	222297	222972	9414580033
6	श्री रमेश चन्द्र	कुलसचिव विश्वविद्यालय	220560		9810240532
7	श्री कुलदीप सिंह	आयुक्त नगर परिषद			9828101029
8	श्री अर्पित	जिला रसद अधिकारी			9828764115
9	श्री देवेन्द्र धवन	कोषाधिकारी डीग			9929929993
10	श्री कुलदीप सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी			8005560688
11	श्री विजय सिंघल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी			8619247554
12	श्री संजय जौहरी	उपनिदेशक, पर्यटन विभाग			9829224354
13	श्री मनोज खुराना	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा0			9414661398
14	श्री मनीष कुमार पाण्डे	सहा. जनसम्पर्क अधि.			8440015802
15	श्री दिलीप कुमार	प्राचार्य एम0ए0जे0 कॉलेज, डीग			8384947450
16	श्रीमती भावना यादव	उपनिदेशक, पशुपालन विभाग			9411027566
17	श्री विकास	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			8005775926
18	श्री रामवतार सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ डीग			9782272387

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री राजकुमार कस्वा	अति0 जिला कलक्टर,डीग			9950126926
2	श्रीमती श्रेष्ठा श्री	उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर	241224	241425	9711101912
3	श्री मुकेश सिंह	उपखण्ड अधिकारी,डीग (Transferred DOP Order 13.05.26)	220018	230645	8827425220
4	श्री सुभाष यादव	उपखण्ड अधिकारी,कामां	250496	250495	7891209074
5	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा	उपखण्ड अधिकारी नगर	243053	243034	9414321451
6	श्री मुकुल दीक्षित	उपखण्ड अधिकारी पहाडी (Transferred DOP ORDER 12.05.26)	258040		9672193355
7	श्री अमित कुमार	उपखण्ड अधि0 सीकरी			7814908202

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्रीमती जुगिता मीना	तहसीलदार डीग			9799356718
2	श्री भरतलाल	तहसीलदार कुम्हेर	240572		7014902764
3	श्री कमल शर्मा	तहसीलदार नगर	242053		9079093752
4	श्रीमती रजनी यादव	तहसीलदार कामॉ	250018		7357121483
5	श्री धर्मसिंह	तहसीलदार पहाडी	258030		9079716460
6	श्री इन्द्राज गुर्जर	तहसीलदार सीकरी			9602695826
7	श्री मोहन सियोल	तहसील जुरहरा			8239785559
8	श्री रामस्वरूप	तहसील जनूथर			9929870623
9	श्री मुकेश गोयल	तहसील रारह			8949474806

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			8005812873
2	श्री जतन सिह	पंचायत समिति, डीग	220021		9783322065

Scanned with OKEN Scanner

3	श्री रणवीर सिंह	पंचायत समिति, कुम्हेर	240619		9828119484
4	श्री मुरारीलाल गौतम	पंचायत समिति, नगर	242039		9549841751
5	श्री विजय जैन	पंचायत समिति, कामां	250016		9166020243
6	श्री विजय जैन	पंचायत समिति, सीकरी	242039		9166020243
7	श्री मुरारीलाल गौतम	पंचायत समिति, पहाडी			9549841751

Scanned with OKEN Scanner

3.1 **नागरिक सुरक्षा सेवाएं** – नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम
1.	मुख्यालय
2.	संचार सेवा
3.	वार्डन सेवा
4.	अग्निशमन सेवा
5.	प्रशिक्षण सेवा
6.	हताहत सेवा
7.	बचाव
8.	साल्वेज सेवा
9.	पूर्ति सेवा
10.	डिपो व परिवहन सेवा
11.	कल्याण सेवा
12.	शव निपटान सेवा

वर्तमान में विभिन्न सेवाओं में नागरिक सुरक्षा भरतपुर डीग को शमिल करते हुए कुल 485 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक क्रियाशील है।

Scanned with OKEN Scanner

(जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा भरतपुर द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

जिला भरतपुर			
क्र.स.	नाम सेवा	पद	दायित्व
1.	मुख्यालय सेवा	नियंत्रक एवं जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा भरतपुर	किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करना।
2.	संचार सेवा	मुख्य प्रबन्धक भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर	नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों से संबंधी सूचना प्रसारण करना।
3.	वार्डन सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा भरतपुर	स्वयंसेवको को आमजन तक पहुंचाया जाना।
4.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी भरतपुर	हताहत व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
5.	बचाव सेवा	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर	क्षतिग्रस्त भवनों में फसें / दबे हताहतों की खोज कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
6.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त नगर निगम भरतपुर	हवाई हमले के दौरान आवश्यकता अनुसार अग्नि उपकरण उपलब्ध कराना।
7.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा भरतपुर	समस्त हितधारकों को बुनियादी नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
8.	डिपो एवं परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर	हवाई हमले / आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को आवश्यक उपकरण व वाहन निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराना
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी भरतपुर	प्रभावित व्याक्तियों को खाद्य साम्रगी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाना।
10.	साल्वेज(Salvage) सेवा	तहसीलदार भरतपुर	हवाई–हमले/आपदा/घटना/दुर्घटना की स्थिति में मलबों में लावारिस समान एवं वस्तुओं को जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना।
11.	कल्याण सेवा	उपखण्ड अधिकारी भरतपुर	आपदा के दौरान सूचनाऐं एकत्रित करना, बेघर हुए लोगों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था।
12.	शव निस्तारण सेवा	आयुक्त नगर निगम भरतपुर	आपदा के दौरान मृतकों की पहचान कर तत्काल पंचनामा तैयार करना।

Scanned with OKEN Scanner

नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन – नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

जिला डीग

क्र.स.	नाम सेवा	पद	दायित्व
1.	मुख्यालय सेवा	अतिरिक्त जिला कलक्टर,डीग	किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करना।
2.	संचार सेवा	उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग,डीग	नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों से संबंधी सूचना प्रसारण करना।
3.	वार्डन सेवा	1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीग 2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीग	स्वयंसेवको को आमजन तक पहुंचाया जाना।
4.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग	हताहत व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
5.	बचाव सेवा	1 उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा विभाग, भरतपुर 2 अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	क्षतिग्रस्त भवनों में फसें / दबे हताहतों की खोज कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
6.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, डीग	हवाई हमले के दौरान आवश्यकता अनुसार अग्नि उपकरण उपलब्ध कराना।
7.	प्रशिक्षण सेवा	1 उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा विभाग, भरतपुर 2.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , डीग	समस्त हितधारकों को बुनियादी नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
8.	डिपो एवं परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, डीग	हवाई हमले / आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को आवश्यक उपकरण व वाहन निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराना
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, डीग	प्रभावित व्याक्तियों को खाद्य साम्रगी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाना।
10.	साल्वेज(Salvage) सेवा	कोषाधिकारी, डीग	हवाई–हमले/आपदा/घटना/दुर्घटना की स्थिति में मलबों में लावारिस समान एवं वस्तुओं को जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना।
11.	कल्याण सेवा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीग	आपदा के दौरान सूचनाऐं एकत्रित करना, बेघर हुए लोगों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था।
12.	शव निस्तारण सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, डीग	आपदा के दौरान मृतकों की पहचान कर तत्काल पंचनामा तैयार करना।

Scanned with OKEN Scanner

व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 <u>नियंत्रक (Controller)</u> – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का "नियंत्रक" नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य होता है।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया है:–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

Scanned with OKEN Scanner

- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कडाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D..में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) <u>युद्ध काल में कर्तव्य</u> :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।

Scanned with OKEN Scanner

- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु–पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल,पैट्रोल एवं ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. संचार सेवा (Communication Service)

5.1 चेतावनी प्रणाली :–नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 नियत्रण कक्ष – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यकलापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्ध संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्ध/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में **"नियंत्रण कक्ष"** स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की जाती है। उक्तानुसार जिला भरतपुर में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई जिसका दूरभाष नं 05644–220320 है एव हॉट लाइन नं 05644–299260 है।

5.3 चेतावनी प्रणाली – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्‌गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है।

जिला भरतपुर में वर्तमान में कुल 06 सायरन संचालित है जिनकी सूचना निम्न प्रकार से है–

1. यातायात कन्ट्रोल रूम भरतपुर।
2. बस स्टैण्ड भरतपुर।
3. कोतवाली थाना भरतपुर।

Scanned with OKEN Scanner

4. एफसीआई गोदाम भरतपुर।
5. बी.एस.एन.एल ऑफिस भरतपुर।
6. नगर निगम भरतपुर।

चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) बाह्य चेतावनी प्रणाली (External Warning System)– चेतावनी प्रणाली इस बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उत्तरलाई के नियन्त्रण कक्ष "एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)" से "टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDCC) भरतपुर को दी जाती है।

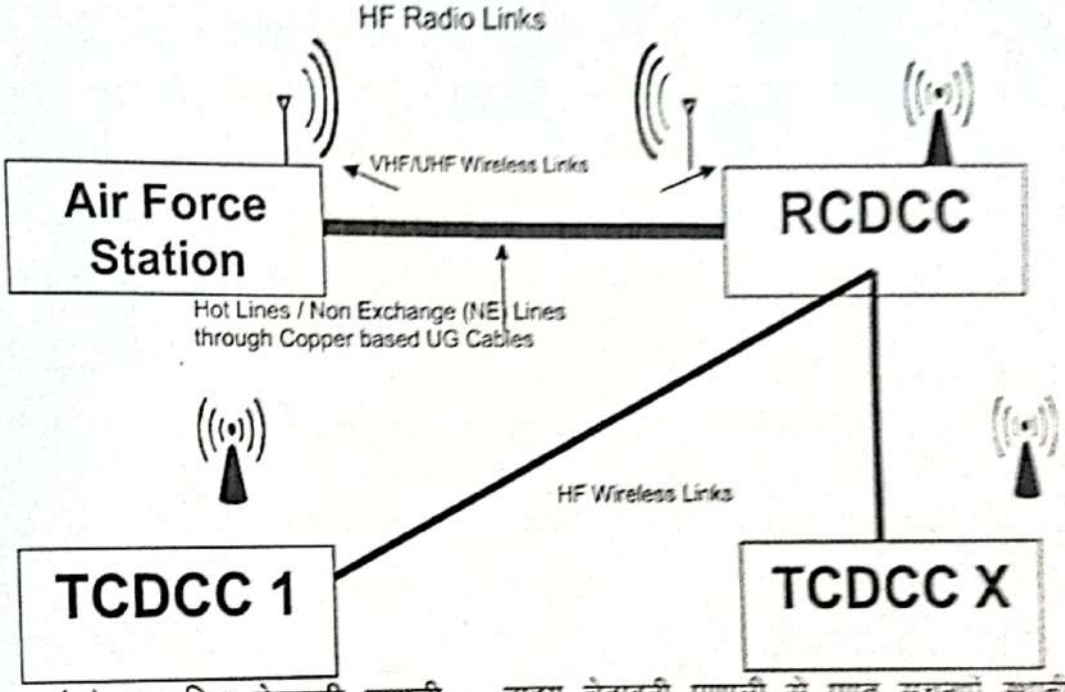

5.3(ख) आन्तरिक चेतावनी प्रणाली – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाएं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाएं प्रसारित की जाती है।

(प) टेलीफोन

(पप) विद्युत सायरन

Internal Communication Schema

Air Raid Warning message from IAF/RCDCC → **RCDCC / TCDCC** → **Air Raid Sirens**

Scanned with OKEN Scanner

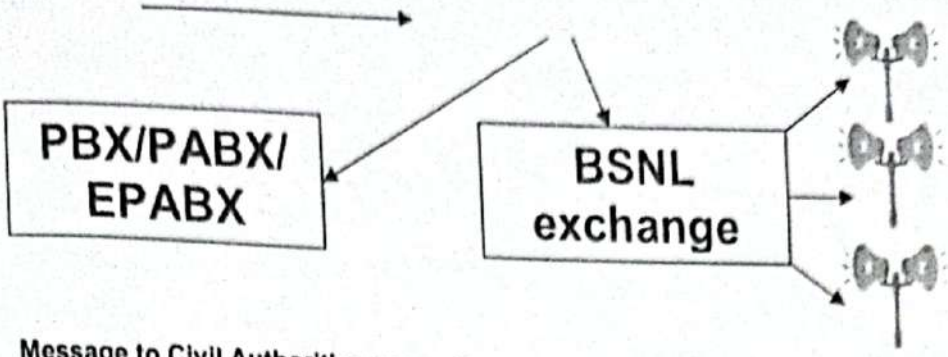

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 <u>नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन</u> :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार है:–

<u>टेलीफोन</u> :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा "साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी" द्वारा प्रदत कराई जाती है।

<u>वायरलैस</u> :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

<u>मोटरसाईकिल</u> :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

5.5 चेतावनी प्रणाली के संदेश – नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
"पीला"	तैयारी संदेश	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
"लाल"	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"हरा"	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"सफेद"	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता इके आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्श या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01

Scanned with OKEN Scanner

7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 <u>वार्डन के कर्तव्य</u> – वार्डन अपने क्षेत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्यनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु "सैल्फ हैल्प पार्टी" तैयार करता हैं।	वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है। वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं। वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

7. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 ट्रेलर पंप पार्टी – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–ब्रिग्रेड कार्यरत हैं।

8. प्रशिक्षण सेवा (Training Service)–किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्पन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से आमजन में स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

प्रशिक्षण की नीति

Scanned with OKEN Scanner

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाई स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	• नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर • हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।		

9 <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)</u> – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 <u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 <u>प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)</u> – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 <u>मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> :– नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

Scanned with OKEN Scanner

9.4 अस्पताल सेवायें :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10 बचाव सेवा (Rescue Service) – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य** – हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकी (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन** – जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, प्रति 50,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11 निस्तारण सेवा (Salvage Service) – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 निस्तारण सेवा के कर्तव्य :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नही हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पश्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12 **पूर्ति सेवा (Supply Service)** – नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाएँ देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13 **डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)**

डिपो सेवा – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा

Scanned with OKEN Scanner

- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैरिंग स्टॉफ

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्ध/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्रसेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14 <u>शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का

Scanned with OKEN Scanner

अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु "मृतक निवारण सेवा" गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।
- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15 **कल्याण सेवा(Welfare Service)** – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्टहो जाता है। परिवार के सदस्य विछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 **कल्याण सेवा के कार्य**

(अ) **सूचना एवं प्रसार** :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर

Scanned with OKEN Scanner

संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सूचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यों हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

भाग – IV

16 निष्क्रमण (Evacuation) – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 संकट से पहले – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 संकट के बाद – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेशतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

रास्ता – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

चैक पॉइन्ट कार्य – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाएँ एकत्रित करने, सरकार को सूचनाएँ देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 प्रभारीगण – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- कैम्प कमान्डैन्ट :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- लेखाधिकारी :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।
- चिकित्सा सहायता :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

विद्युत कार्य – कैम्प स्थल पर विद्युत से संबधित कार्य विद्युतविभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विद्युतप्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

जलदाय – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17 रिपेयर्स एण्ड डेमोलिशन– किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 रिपेयर दल का गठन – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेषध्यान मे रखी जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 <u>सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना</u> – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 <u>मकानों को गिराना</u> – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

<u>18</u> **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विद्युतविभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

<u>19</u> **पशुओं की देखभाल** – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने

Scanned with OKEN Scanner

बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20 <u>हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन</u> – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला "रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्देश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है"। दूसरा "सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है"। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विद्युतव्यवस्था उँचाई से उसके उद्देश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्देश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रण व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव की रेट को कम किया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

20.1 भवन की प्रकाश व्यवस्था

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विद्युतव्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम वोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विद्युतका इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विद्युतव्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

भाग – V

21 **रासायनिक युद्ध(Chemical Warfare)** – रासायनिक युद्धउत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों व जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 **रासायनिक गैसों का वर्गीकरण** :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेशताएं

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	तात्रिक • टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। • सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिकियाओं द्वारा पहचान की जाती है।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप) • मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है। • लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है। जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	श्वास रोधी गैसे • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती। • डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, श्वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है। इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह

Scanned with OKEN Scanner

	रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती। • क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाश्पशील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है। विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है। • बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता। इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)। आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

22 <u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u> – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 <u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u> :–

Scanned with OKEN Scanner

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव** – किसी भी राष्ट्र में युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्धकी आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेशण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्टकरना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक "नासा पैड" प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	पशुओं पर रोगाणुओं का प्रयोग	पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग
जीवाणु : • बैसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्चुरेला पेस्टिस (प्लेग) • शिग्रियो कॉमा (हैजा) विषाणु (वाइरस) : • एन्यल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) • संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) • मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) रिकेट्रिसया : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) जीवविश (टॉक्सिन) : • बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) • स्टेफिलोकॉकस जीवविश (अन्नविशाक्तता)	जीवाणु : • वैसीलव एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) विषाणु (वाइरस) : • मुख पाद रोग विशाणु • पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेई (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

<u>आणविक/परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)</u> – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विस्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विस्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 <u>ऊष्मा के प्रभाव</u> – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारंभिक और द्वितीयक आग – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्टहो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 परमाणु बम के विस्फोट का प्रभाव –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विस्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूशण।
- इमारत का विस्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time – Keep exposure time as short as possible • Distance – Keep as far away as possible from the source • Source – Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

मनुष्य के शरीर पर विस्फोट के प्रभाव – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विस्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विस्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अविस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिट्टी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छतक रूपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव कमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- विलंबित प्रभाव – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- दीर्घकालिक हानियां – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- आनुवांशिक हानि – यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं य आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विस्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- प्रारम्भिक विकिरण–ये विस्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- अवशिश्ट विकिरण – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विस्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विश्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विश का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण

Scanned with OKEN Scanner

रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- <u>समय</u> – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- <u>दूरी</u> – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- <u>आड़ बनाना</u> – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 **<u>Suggested Role of District Magistrates of the Districts.</u>**

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After thee Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside

Scanned with OKEN Scanner

	• Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. **EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK**

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.

(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;

(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and

(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. **BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS**

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and

Scanned with OKEN Scanner

tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

   (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.

   (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

   (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
   (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
   (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
   (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
   (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that

Scanned with OKEN Scanner

people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

    (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
    (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
    (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
    (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

Scanned with OKEN Scanner

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–जिला भरतपुर

S.No.	Name of VAs/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Naval Establishment including Dockyards, Store Depots, Magazine, Port war signal Stations, Naval Airfields Coast Guard Establishment	NIL	NIL	NIL
2	Air Force Establishments, Air Force Airfields, Store Depots, Magazines etc	NIL	NIL	NIL
3	Public Undertakings under the Ministry of Defense	Army Military Station Bharatpur	1	A
4	Public Sector Under The Ministry of Defense	NIL	NIL	NIL
5	Common Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	Post Office Gandhi Park, Bhartpur	1	A
6	TV & Radio Stations	BSNL Krishna Nagar Bharatpur	1	A
		Akashwani, Janana Haspital	1	B
		Police Control Room Rural	1	A
		Abhay Command Centre Collectorate	1	A
7	Bridges/ Rope-way/Railway Station/Bus stand	Mathura By Pass Bridge	1	B
		Agra Jaipur Bridge	1	A
		Railway Station Bridge	1	B
		Bharatpur Railway Station	1	A
		Bharatpur Alwar Bridge	1	A
		Roadways & Private Bus Stand	1	A
8	Petroleum & Natural Gas/Explosives	Ammunition Depot Bharatpur	1	A
9	Mines & Gas works	Mines Bansi Pahadpur Bharatpur	1	B
		Gail Bharatpur	1	B
10	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	JVVNL Motijheel Bharatpur	1	A
11	Water Supply/Sewage key points	PHED Bharatpur	1	A
12	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
13	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
14	Govt factories/ Industrial Installaltions	NIL	NIL	NIL
15	Food & Oil Storage Depots	HPCL Dhaurmai , Bharatpur	1	A
		IOCL Dhaurmai, Bharatpur	1	A
		BPCL Bharatpur	1	A
16	Dams, Barrages	Bandh Barretha Bharatpur	1	B
		Ajaan Baandh Bharatpur	1	B
		Kohni Baandh, Bharatpur	1	B
17	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	Treasuries Urban Bharatpur	1	A
18	Pvt. Factories/ Industrial Installations	RIICO Industrial Area Bharatpur	1	A
19	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
20	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
21	Imp. Govt. Buildings	Mini Secretariat Bharatpur	1	A
22	Miscellaneous key points	NIL	NIL	NIL
23	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
24	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
25	Any other special from your perspective	Keoladeo National Park Bhartpur	1	A

जिला डीग–हवाई हमले की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र/स्थान

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. of VA/VPs	Assessed Priority
1-	Naval Establishment including Dockyard, Store Depots, Magazine, Port war signal Stations, Naval Airfields Coast Guard	NIL	NIL	NIL

Scanned with OKEN Scanner

	Establishment			
2-	Air Force Establishments, Air Force Airfields, Store Depots, Magazines etc.	NIL	NIL	NIL
3-	Public Undertakings under the Ministry of Defence	NIL	NIL	NIL
4-	Public Sector Under the Ministry of Defence	NIL	NIL	NIL
5-	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	1. Chungi, Bharatpur Road, Deeg 2. Tiraha in front of Bijli Ghar, Near Jal Mahal 3. Ganesh Mandir, Singhpol Gate, Deeg 4. Shahid Smarak, Deeg 5. Chungi,Govardhan Gate, Deeg 6. Laxman Mandir, Main Bazar, Deeg 7. Near Cinema Hall, Kaman Road, Deeg	07	B
6-	TV & Radio Stations	Radio Station (Aakashwani Centre), Nai Sadak, Deeg	01	C
7-	Bridges/ Rope-way/Railway Station	1. New Bus Stand, Deeg 2. Railway Station, Deeg	02	B
8-	Petroleum & Natural Gas	NIL	NIL	NIL
9-	Mines & Gas works	Mining Area in 08 in Pahadi, 02 in Sikri, 01 in Nagar	11	C
10-	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	JVVNL Office Deeg	01	B
11-	Water Supply/Sewage key points	1- Water Resource Department, Deeg 2- PHED office, Deeg	02	B
12-	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
13-	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
14-	Govt factories/ Industrial Installaltions	NIL	NIL	NIL
15-	Food & Oil Storage Depots	1. Food Corportation, Deeg 2.Kishanlal Chandra Shekhar Petrol Pump, Deeg	02	B
16-	Dams, Barrages	List Enclosed	34	C
17-	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	1.Treasury Office, Deeg 2. PNB Bank Nai Sadak , Deeg 3.SBI Bank , Kaman road, Deeg 4.SBI 2nd Branch, Nagar Road, Deeg 5. HDFC Bank Mela Ground Deeg 6.Bank Of Baroda, Near raja man singh samadhi . Deeg 7.Canara Bank , Main Market, Deeg 8.Bank Of India, Deeg	08	B
18-	Pvt Factories/ Industrial Installations	RIICO Industrial Area, Deeg	01	B
19-	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
20-	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL

62

Scanned with OKEN Scanner

21-	Imp. Govt. Buildings	1.Govt. Hospital, Deeg 2.Collectorate, Deeg 3.Sp Office, Deeg	03	B
22-	Miscellaneous key points	1.Jal Mahal, Deeg 2.Laxman Mandir, Deeg 3.Ganesh Mandir, Deeg 4.Main Market, Deeg	04	B
23-	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
24-	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
25-	Any other special from your perspective	NIL	NIL	NIL

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वयंसेवक का नाम	स.सं.	सेवा का प्रकार स्थायी/स्वयंसेवक	ना.सु. की 12 सेवाओं में किस सेवा में प्रशिक्षित है	विशेष विवरण
1.	भरतपुर	भूपेन्द्र सिंह	1	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
2.	भरतपुर	हरीश पाठक	2	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
3.	भरतपुर	अंकुर सोनी	3	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
4.	भरतपुर	गजेन्द्र सिंह	4	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
5.	भरतपुर	सुनील सोलकी	5	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
6.	भरतपुर	दिलीप सिंह	6	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
7.	भरतपुर	विजय सिंह	7	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
8.	भरतपुर	अशोक कुमार	8	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
9.	भरतपुर	अशोक कुमार	9	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
10.	भरतपुर	विष्णु सिंह	10	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
11.	भरतपुर	राहुल कुमार	11	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
12.	भरतपुर	राकेश कुमार	12	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
13.	भरतपुर	जितेन्द्र सिंह	13	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
14.	भरतपुर	भूपेन्द्र	14	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
15.	भरतपुर	सोनू	15	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
16.	भरतपुर	सुनील सैनी	16	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
17.	भरतपुर	वृजेन्द्र कुमार	17	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
18.	भरतपुर	अशोक कुमार	18	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
19.	भरतपुर	भारत सिंह	19	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
20.	भरतपुर	सुरेश कुमार	20	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
21.	भरतपुर	सचिन	21	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
22.	भरतपुर	चन्द्रशेखर	22	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
23.	भरतपुर	देवेन्द्र कुमार जाटव	23	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
24.	भरतपुर	प्रहलाद सिंह	24	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
25.	भरतपुर	जीतेन्द्र कुमार	25	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
26.	भरतपुर	रामेश्वर सिंह	26	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
27.	भरतपुर	गोपाल सैनी	27	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
28.	भरतपुर	कोशल सैनी	28	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
29.	भरतपुर	कन्हैया लाल	29	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

30	भरतपुर	विमल सिंह	30	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
31	भरतपुर	लेखराज	31	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
32	भरतपुर	वेद प्रकाश	32	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
33	भरतपुर	सतीश कश्यप	33	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
34	भरतपुर	मानीक चन्द	34	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
35	भरतपुर	लेखराज सिंह	35	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
36	भरतपुर	कृष्ण कुमार	36	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
37.	भरतपुर	मदन मोहन	37	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
38.	भरतपुर	लक्ष्मन सिंह	38	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
39.	भरतपुर	करतार सिंह	39	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
40.	भरतपुर	नरेन्द्र कुमार	40	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
41.	भरतपुर	कन्छेदा लाल	41	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
42.	भरतपुर	गीतम सिंह	42	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
43.	भरतपुर	दीपक कुमार	43	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
44.	भरतपुर	कुसुमलता	44	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
45.	भरतपुर	हेमलता सैनी	45	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
46.	भरतपुर	सोनिमा कुमारी	46	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
47.	भरतपुर	लोकेन्द्र सैनी	47	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
48.	भरतपुर	क्षेमलता	48	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
49.	भरतपुर	रेनू कुमारी	49	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
50.	भरतपुर	राजकुमार	50	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
51.	भरतपुर	अनीषा सिंह	51	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
52.	भरतपुर	अनिल कुमार	52	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
53.	भरतपुर	प्रकाश सैनी	53	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
54.	भरतपुर	रूपेन्दर सिंह	54	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
55.	भरतपुर	छोटेलाल जाटव	55	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
56.	भरतपुर	राजवीर सिंह	56	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
57.	भरतपुर	गौतम सिंह	57	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
58.	भरतपुर	अनिल कुमार	58	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
59.	भरतपुर	धर्मवीर शर्मा	59	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

60.	भरतपुर	अभिषेक	60	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
61.	भरतपुर	कौशल दत्त	61	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
62.	भरतपुर	राकेश कुमार वर्मा	62	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
63.	भरतपुर	नैत्रपाल	63	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
64.	भरतपुर	दिपेन्द्र सिंह	64	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
65.	भरतपुर	अरविन्द कुमार	65	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
66.	भरतपुर	दृजलता	66	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
67.	भरतपुर	सतवीर सिंह	67	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
68.	भरतपुर	ओमवीर सिंह	68	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
69.	भरतपुर	हरि भान	69	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
70.	भरतपुर	कपिल देव	70	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
71.	भरतपुर	रविन्द्र सिंह	71	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
72.	भरतपुर	कुवर सैन	72	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
73.	भरतपुर	अमित कुमार सोलंकी	73	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
74.	भरतपुर	वीरेन्द्र सिंह	74	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
75.	भरतपुर	पवन कुमार	75	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
76.	भरतपुर	सोरम सोलंकी	76	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
77.	भरतपुर	पन्नालाल	77	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
78.	भरतपुर	लोकेश कुमार साक्य	78	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
79.	भरतपुर	पूनम	79	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
80.	भरतपुर	बन्टी सैनी	80	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
81.	भरतपुर	आशा	81	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
82.	भरतपुर	जीतेश शर्मा	82	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
83.	भरतपुर	राकेश सैनी	83	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
84.	भरतपुर	अजय कुमार	84	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
85.	भरतपुर	किशोरी लाल	85	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
86.	भरतपुर	भूपेन्द्र कुमार	86	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
87.	भरतपुर	शशिकान्त	87	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
88.	भरतपुर	बबली जाटव	88	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
89.	भरतपुर	वीरेन्द्र सिंह	89	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

90.	भरतपुर	आशा कटारा	90	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
91.	भरतपुर	भागमल सिंह	91	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
92.	भरतपुर	प्रीती देवी	92	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
93.	भरतपुर	सतपाल सिंह	93	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
94.	भरतपुर	ऊषा किरण	94	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
95.	भरतपुर	श्रीमती नर्मदा	95	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
96.	भरतपुर	संजय कुमार	96	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
97.	भरतपुर	कु. गुड्डी	97	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
98.	भरतपुर	जीतेन्द्र चतुर्वेदी	98	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
99.	भरतपुर	भारती चतुर्वेदी	99	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
100.	भरतपुर	मोना	100	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
101.	भरतपुर	श्रीमती नीरज	101	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
102.	भरतपुर	सुनील दत्त	102	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
103.	भरतपुर	अनिल कुमार	103	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
104.	भरतपुर	नवनीत सिंह	104	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
105.	भरतपुर	कपिल कुमार	105	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
106.	भरतपुर	मानवेन्द्र सिंह	106	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
107.	भरतपुर	विवेक सिंह	107	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
108.	भरतपुर	धर्मेन्द्र सिंह	108	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
109.	भरतपुर	पंकज कुमार	109	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
110.	भरतपुर	विजय शंकर	110	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
111.	भरतपुर	मुकेश कुमार मीणा	111	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
112.	भरतपुर	विष्णु कान्त	112	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
113.	भरतपुर	अशोक बसवांडा	113	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
114.	भरतपुर	भूदेव सिंह	114	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
115.	भरतपुर	धर्मेन्द्र सिंह	115	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
116.	भरतपुर	राजेन्द्र सिंह	116	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
117.	भरतपुर	दिनेश चन्द	117	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
118.	भरतपुर	भूप सिंह	118	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
119.	भरतपुर	विष्णु कुमार	119	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
120.	भरतपुर	परमानन्द	120	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
121.	भरतपुर	लक्ष्मण सिंह	121	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

122.	भरतपुर	हरीश चन्द	122	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
123.	भरतपुर	विजय सिंह	123	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
124.	भरतपुर	योगेश कुमार	124	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
125.	भरतपुर	तेजवीर सिंह	125	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	तैराक
126.	भरतपुर	गोबिन्द सिंह	126	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
127.	भरतपुर	यशपाल सिंह	127	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
128.	भरतपुर	रूमन सिंह	128	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
129.	भरतपुर	जगदेव सिंह	129	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
130.	भरतपुर	रविन्द्र कुमार	130	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
131.	भरतपुर	रोशनलाल	131	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
132.	भरतपुर	संदीप कुमार कटारा	132	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	बचावकर्ता
133.	भरतपुर	देशराज	133	स्वयंसेवक	अग्निशमन सेवा	वाहन चालक
134.	भरतपुर	श्री अशोक कुमार	134	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	वाहन चालक
135.	भरतपुर	श्री राम	135	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
136.	भरतपुर	श्री मुकेश	136	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
137.	भरतपुर	श्री सुभाश गुर्जर	137	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
138.	भरतपुर	श्री दिलीप सैनी	138	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
139.	भरतपुर	श्री राजकुमार	139	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
140.	भरतपुर	श्री विजयपाल	140	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
141.	भरतपुर	श्री गिरधर सिह	141	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
142.	भरतपुर	श्री ओम प्रकाश	142	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
143.	भरतपुर	श्री उमेश चंद शर्मा	143	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
144.	भरतपुर	श्री भूरी सिंह	144	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
145.	भरतपुर	श्री महेन्द्र	145	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
146.	भरतपुर	श्री भोजपाल	146	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
147.	भरतपुर	श्री कुमर सिंह	147	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
148.	भरतपुर	श्री सोनू कश्यप	148	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
149.	भरतपुर	श्री चेतन सोलंकी	149	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
150.	भरतपुर	श्री आदेश गुर्जर	150	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
151.	भरतपुर	श्री दिनेश कुमार	151	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
152.	भरतपुर	श्री तेजप्रकाश	152	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
153.	भरतपुर	श्री बीरबल सिंह	153	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक

Scanned with OKEN Scanner

154.	भरतपुर	श्री लोकेन्द्र सिंह	154	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
155.	भरतपुर	श्री जगदीर सिंह	155	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
156.	भरतपुर	श्री अनुपम सोनी	156	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
157.	भरतपुर	श्री कपिल देव	157	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
158.	भरतपुर	श्री कप्तान सिंह	158	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
159.	भरतपुर	श्री जीतेन्द्र कुमार	159	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
160.	भरतपुर	श्री भारत	160	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
161.	भरतपुर	गोपी सैनी	161	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
162.	भरतपुर	ओमवीर सिंह	162	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
163.	भरतपुर	रनवीर सिंह	163	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
164.	भरतपुर	शिवापाल	164	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
165.	भरतपुर	सोनू सिंह	165	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
166.	भरतपुर	राजकुमार	166	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
167.	भरतपुर	श्री नरेश कुमार	167	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
168.	भरतपुर	श्री लोकेन्द्र कुमार	168	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
169.	भरतपुर	श्री कौशलकिशोर	169	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
170.	भरतपुर	श्रीमती रविता कुमारी	170	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
171.	भरतपुर	श्री शिववरन	171	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
172.	भरतपुर	श्री विजेन्द्र सिंह	172	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
173.	भरतपुर	श्री दयाल सिंह	173	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
174.	भरतपुर	श्री लोकेन्द्र सिंह	174	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
175.	भरतपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह	175	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
176.	भरतपुर	श्री महारा सिंह मीणा	176	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
177.	भरतपुर	श्री राजीव	177	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
178.	भरतपुर	श्री जयप्रकाश	178	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
179.	भरतपुर	श्री आकाश गोयल	179	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
180.	भरतपुर	श्री गौरव शर्मा	180	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
181.	भरतपुर	श्री मनीष शर्मा	181	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
182.	भरतपुर	श्री राहुल शर्मा	182	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
183.	भरतपुर	श्री बलविन्दर	183	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
184.	भरतपुर	श्री भूपेन्द्र सिंह	184	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
185.	भरतपुर	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	185	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक

Scanned with OKEN Scanner

186.	भरतपुर	श्री हेमन्त सिंह	186	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
187.	भरतपुर	श्री विकास	187	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
188.	भरतपुर	श्री हरीश कसाना	188	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
189.	भरतपुर	श्री लीलाधर	189	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
190.	भरतपुर	श्री जगवीर	190	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
191.	भरतपुर	श्री अमरजीत	191	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
192.	भरतपुर	श्री विक्रम सिंह	192	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
193.	भरतपुर	श्री कृष्णा सैनी	193	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
194.	भरतपुर	श्री देवी सिंह	194	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
195.	भरतपुर	श्री पवन	195	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
196.	भरतपुर	श्री गजवीर सिंह	196	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
197.	भरतपुर	श्री राजवीर सिंह	197	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
198.	भरतपुर	श्री मुकेश कुमार	198	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
199.	भरतपुर	श्री महेश	199	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
200.	भरतपुर	श्री नरेन्द्र सिंह	200	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
201.	भरतपुर	श्री रवि	201	स्वयंसेवक	संचार सेवा	तैराक
202.	भरतपुर	श्री दिगम्बर सिंह	202	स्वयंसेवक	संचार सेवा	
203.	भरतपुर	श्री विष्णु सिंह	203	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
204.	भरतपुर	श्री धनवीर	204	स्वयंसेवक	संचार सेवा	तैराक
205.	भरतपुर	श्री भांकर सिंह	205	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
206.	भरतपुर	श्री कुंवर सिंह	206	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
207.	भरतपुर	श्री विवेक कुमार	207	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
208.	भरतपुर	श्री गौरव	208	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
209.	भरतपुर	श्री मोन्टू	209	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
210.	भरतपुर	श्री संतोष कुमार	210	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
211.	भरतपुर	श्री सोनू	211	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
212.	भरतपुर	श्री विजयपाल सिंह	212	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
213.	भरतपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह	213	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
214.	भरतपुर	श्री अजय सिंह	214	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
215.	भरतपुर	श्री राहुल कुमार	215	स्वयंसेवक	संचार सेवा	बचावकर्ता
216.	भरतपुर	श्री हेमेन्द्र पोहिया	216	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
217.	भरतपुर	श्री तेजसिंह	217	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

218.	भरतपुर	श्री सूरजभान शर्मा	218	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
219.	भरतपुर	श्री योगेश कुमार	219	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
220.	भरतपुर	श्री संजीव	220	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
221.	भरतपुर	श्री सागर शर्मा	221	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
222.	भरतपुर	श्री सन्नी	222	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
223.	भरतपुर	श्री धर्मवीर गुर्जर	223	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
224.	भरतपुर	श्री अंकित	224	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
225.	भरतपुर	श्री मोहन सिंह	225	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
226.	भरतपुर	श्री गौरव कुमार	226	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
227.	भरतपुर	श्री सत्यम	227	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
228.	भरतपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह	228	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
229.	भरतपुर	श्री हरवीर सिंह	229	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
230.	भरतपुर	श्री राकेश सिंह	230	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
231.	भरतपुर	श्री हरमान सिंह	231	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
232.	भरतपुर	श्री दीपक	232	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
233.	भरतपुर	श्री केवल सिंह	233	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
234.	भरतपुर	श्री राम	234	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
235.	भरतपुर	श्री धारा सिंह	235	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
236.	भरतपुर	श्री ओमप्रकाश	236	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
237.	भरतपुर	श्री अनन्या तिवारी	237	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
238.	भरतपुर	श्री मलखान सिंह	238	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
239.	भरतपुर	श्री जीतेन्द्र कुमार	239	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
240.	भरतपुर	श्री तरूण कुमार	240	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
241.	भरतपुर	श्री मनोज कुमार	241	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
242.	भरतपुर	श्री पुष्कर सिंह	242	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
243.	भरतपुर	श्री हेमन्त	243	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
244.	भरतपुर	श्री नरेश कुमार	244	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
245.	भरतपुर	श्री लाखन सिंह	245	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
246.	भरतपुर	श्री भरत सिंह	246	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
247.	भरतपुर	श्री विकास कुमार	247	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
248.	भरतपुर	श्री विचित्र सिंह	248	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
249.	भरतपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	249	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

250.	भरतपुर	श्री वैष्णवी तिवारी	250	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
251.	भरतपुर	श्री पवन कुमार	251	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
252.	भरतपुर	श्री भीमसेन	252	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
253.	भरतपुर	श्री महावीर प्रसाद	253	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
254.	भरतपुर	श्री राहुल सिंह	254	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
255.	भरतपुर	श्री रजत	255	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
256.	भरतपुर	श्री धीरज कुमार	256	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
257.	भरतपुर	श्री जीतेन्द्र सिंह	257	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
258.	भरतपुर	श्री रघुवन सिंह	258	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
259.	भरतपुर	श्री रिन्कु सिंह	259	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
260.	भरतपुर	श्री भगवान सहाय	260	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
261.	भरतपुर	श्री हेमन्त	261	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
262.	भरतपुर	श्री सतेन्द्र सिंह	262	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
263.	भरतपुर	श्री कुलदीप सिंह	263	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
264.	भरतपुर	श्रीमती दिव्याकौर	264	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
265.	भरतपुर	श्री नरेन्द्रपाल सिंह	265	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
266.	भरतपुर	श्री सौरभ कुमार	266	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
267.	भरतपुर	श्री मनीष कुमार	267	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
268.	भरतपुर	श्री नेत्रकमल	268	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
269.	भरतपुर	श्री योगेश	269	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
270.	भरतपुर	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	270	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
271.	भरतपुर	श्री सचिन कुमार	271	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
272.	भरतपुर	श्री प्रदीप सिंह	272	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
273.	भरतपुर	श्री बृजकिशोर	273	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
274.	भरतपुर	श्री रामनरेश	274	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
275.	भरतपुर	श्री सूरजभान सिंह	275	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
276.	भरतपुर	श्री समयसिंह	276	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
277.	भरतपुर	श्री दानवीर सिंह	277	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
278.	भरतपुर	श्री सुशील सिंह	278	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
279.	भरतपुर	श्री बेताल सिंह	279	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
280.	भरतपुर	श्री देवेन्द्र बंसल	280	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
281.	भरतपुर	श्री अजीत कुमार	281	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

282.	भरतपुर	श्री नीटू सिंह				
283.	भरतपुर	श्री भैरव सिंह	283	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
284.	भरतपुर	श्री मधुबन	284	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
285.	भरतपुर	श्री पुनीत कुमार शर्मा	285	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
286.	भरतपुर	श्री गौरव कुमार	286	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
287.	भरतपुर	श्री गजेन्द्र सिंह	287	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
288.	भरतपुर	श्री सुनील	288	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
289.	भरतपुर	श्री यशपाल	289	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
290.	भरतपुर	श्री हरविन्द्र सिंह	290	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
291.	भरतपुर	श्री राजेश कुमार	291	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
292.	भरतपुर	श्री दिनेश शर्मा	292	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
293.	भरतपुर	श्री सत्यवीर	293	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
294.	भरतपुर	श्री सोबिन सिंह	294	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
295.	भरतपुर	श्री रमाकान्त	295	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
296.	भरतपुर	श्री अशोक कुमार	296	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
297.	भरतपुर	श्री सतीश चन्द	297	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
298.	भरतपुर	श्री प्रहलाद सिंह	298	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
299.	भरतपुर	श्री ओमप्रकाश	299	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
300.	भरतपुर	श्री शिवप्रकाश	300	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
301.	भरतपुर	श्री चन्द्रशेखर	301	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
302.	भरतपुर	श्री अर्जुन	302	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
303.	भरतपुर	श्री दिनेश कुमार	303	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
304.	भरतपुर	श्री अनिल कुमार	304	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
305.	भरतपुर	श्री गौरव सैनी	305	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
306.	भरतपुर	श्री प्रशान्त	306	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
307.	भरतपुर	श्री विक्रम सिंह	307	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
308.	भरतपुर	श्री अंकुर कुमार	308	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
309.	भरतपुर	श्री सुमित सोगरवाल	309	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
310.	भरतपुर	श्री लवकुश	310	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
311.	भरतपुर	श्री बन्टी सिंह	311	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
312.	भरतपुर	श्री ललतेश कुमार	312	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
313.	भरतपुर	श्री जयवीर	313	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता

314.	भरतपुर	श्री गौरव	314	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
315.	भरतपुर	श्री प्रवीन कुमार	315	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
316.	भरतपुर	श्री अजीत सिंह	316	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
317.	भरतपुर	श्री योगेश कुमार	317	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
318.	भरतपुर	श्री नरेश कुमार	318	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
319.	भरतपुर	बबीता कुमारी	319	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
320.	भरतपुर	श्री राहुल सिंह	320	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
321.	भरतपुर	श्री मोनू सिंह	321	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
322.	भरतपुर	श्री महावीर सिंह गुर्जर	322	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
323.	भरतपुर	श्री विजय सिंह	323	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
324.	भरतपुर	श्री योगेश सैनी	324	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
325.	भरतपुर	श्री राम सैनी	325	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
326.	भरतपुर	श्री निरोत्तम कुमार	326	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
327.	भरतपुर	श्री लोकेश	327	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
328.	भरतपुर	श्री लेखराज	328	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
329.	भरतपुर	ज्योति	329	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
330.	भरतपुर	श्री राजपाल	330	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
331.	भरतपुर	श्री राजवीर	331	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
332.	भरतपुर	श्री रविन्द्र	332	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
333.	भरतपुर	श्री अतुल सिंह	333	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
334.	भरतपुर	श्री पिन्टू	334	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
335.	भरतपुर	श्री पुष्कर सिंह	335	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
336.	भरतपुर	श्री अजय सिंह	336	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
337.	भरतपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार	337	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
338.	भरतपुर	श्री चन्द्रभान	338	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
339.	भरतपुर	श्री अखिलेश	339	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
340.	भरतपुर	श्री विक्रम सिंह	340	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
341.	भरतपुर	श्री राहुल	341	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
342.	भरतपुर	श्री गोरधन सिंह	342	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
343.	भरतपुर	श्री सौरभ	343	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
344.	भरतपुर	आशा कुमारी	344	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
345.	भरतपुर	श्री अमीर सिंह	345	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

346.	भरतपुर	श्री खेमचन्द	346	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
347.	भरतपुर	श्री कौशल शर्मा	347	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
348.	भरतपुर	श्री कृष्णा सिंह सोलंकी	348	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
349.	भरतपुर	श्रीमती नीतू सोलंकी	349	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
350.	भरतपुर	श्रीमती सीमा	350	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
351.	भरतपुर	श्री नवीन सोलंकी	351	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
352.	भरतपुर	श्री विष्णु	352	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
353.	भरतपुर	श्री दीपक सोलंकी	353	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
354.	भरतपुर	श्री अंकित	354	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
355.	भरतपुर	श्री राहुल	355	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
356.	भरतपुर	श्री मृदुल कुमार	356	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
357.	भरतपुर	श्री मुकुल सैनी	357	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
358.	भरतपुर	श्री परसादी सैनी	358	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
359.	भरतपुर	निशा सैनी	359	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
360.	भरतपुर	श्री राजकुमार	360	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
361.	भरतपुर	श्री मोनू	361	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
362.	भरतपुर	श्री कौशल सैनी	362	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
363.	भरतपुर	श्री रामनारायण	363	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
364.	भरतपुर	श्री पुनीत कुमार	364	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
365.	भरतपुर	श्री रामनिवास	365	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
366.	भरतपुर	श्री सौरभ	366	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
367.	भरतपुर	श्री लतीफ खान	367	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
368.	भरतपुर	श्री राजकुमार	368	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
369.	भरतपुर	श्री पवन	369	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
370.	भरतपुर	श्री देवेन्द्र सिंह	370	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
371.	भरतपुर	श्री विजय सिंह	371	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
372.	भरतपुर	श्री रवि	372	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	तैराक
373.	भरतपुर	श्री धीरज सिंह	373	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
374.	भरतपुर	श्री ओमवीर सिंह	374	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
375.	भरतपुर	श्री दिनेश सिंह	375	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
376.	भरतपुर	श्री गगन	376	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
377.	भरतपुर	श्री सोहन सिंह	377	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता

378.	भरतपुर	श्री योगराज	378	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
379.	भरतपुर	श्री महेश सिंह	379	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
380.	भरतपुर	श्री जीतेन्द्र कुमार	380	स्वयंसेवक	प्रशिक्षण सेवा	बचावकर्ता
381.	भरतपुर	श्री मदनमोहन	381	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
382.	भरतपुर	श्री रवि	382	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
383.	भरतपुर	श्री रामू	383	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
384.	भरतपुर	श्री बनय सिंह	384	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
385.	भरतपुर	श्री वीरेन्द्र सिंह	385	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
386.	भरतपुर	श्री आदित्य सिंह	386	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
387.	भरतपुर	श्री सुनील कुमार	387	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
388.	भरतपुर	श्री नितिन कुमार	388	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
389.	भरतपुर	श्री अंकित सिंह	389	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
390.	भरतपुर	श्री प्रशान्त कुमार	390	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
391.	भरतपुर	श्री थान सिंह	391	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
392.	भरतपुर	श्री नेमसिंह	392	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
393.	भरतपुर	श्री दौलत	393	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
394.	भरतपुर	श्री वेदप्रकाश सिंह	394	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
395.	भरतपुर	श्री बाबूलाल	395	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
396.	भरतपुर	श्री विशाल सिंह	396	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
397.	भरतपुर	श्री निकेतन	397	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
398.	भरतपुर	श्री विशाल	398	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
399.	भरतपुर	श्री विश्वेन्द्र सिंह	399	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
400.	भरतपुर	श्री दीनदयाल सिंह	400	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
401.	भरतपुर	श्री राजवीर सिंह	401	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
402.	भरतपुर	श्री बबलूसिंह	402	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
403.	भरतपुर	श्री धर्मेन्द्र सिंह	403	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
404.	भरतपुर	श्री भजन सिंह	404	स्वयंसेवक	साल्वेज सेवा	बचावकर्ता
405.	भरतपुर	श्री रामरोसी	405	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
406.	भरतपुर	श्री सुमित कुमार	406	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
407.	भरतपुर	श्री रमेशचन्द	407	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
408.	भरतपुर	श्री हेमचन्द	408	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
409.	भरतपुर	श्री ब्रजेश कुमार	409	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

410.	भरतपुर	श्री शशिकान्त	410	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
411.	भरतपुर	श्री विनोद कुमार	411	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
412.	भरतपुर	श्री दिगम्बर सिंह मीणा	412	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
413.	भरतपुर	श्री पंकज कुमार	413	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
414.	भरतपुर	श्री परशुराम	414	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
415.	भरतपुर	श्री सत्यप्रकाश सैनी	415	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
416.	भरतपुर	श्री अशोक कुमार सैनी	416	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
417.	भरतपुर	श्री लखन सिंह	417	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
418.	भरतपुर	श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी	418	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
419.	भरतपुर	श्री राजेश कुमार सैनी	419	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
420.	भरतपुर	श्री गजेन्द्र कुमार	420	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
421.	भरतपुर	श्री मनोज सैनी	421	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
422.	भरतपुर	श्री उमाशंकर सैनी	422	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
423.	भरतपुर	श्री भांकर सैनी	423	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
424.	भरतपुर	श्री दीनदयाल सैनी	424	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
425.	भरतपुर	श्री संजय सैनी	425	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
426.	भरतपुर	श्री खजान सिंह	426	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
427.	भरतपुर	श्री मुरली सैनी	427	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	तैराक
428.	भरतपुर	श्री लाखन सिंह	428	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
429.	भरतपुर	श्री लोकेश सिंह	429	स्वयंसेवक	बचाव सेवा	बचावकर्ता
430.	भरतपुर	श्री चन्द्रवीर	430	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
431.	भरतपुर	श्री पवन कुमार	431	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
432.	भरतपुर	श्री प्रिन्स कुमार सिंघल	432	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
433.	भरतपुर	श्री अमित कुमार	433	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
434.	भरतपुर	श्री योगेश कुमार	434	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
435.	भरतपुर	श्री नीरज कुमार	435	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
436.	भरतपुर	श्री बलराम	436	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
437.	भरतपुर	श्री हरकेश गुर्जर	437	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
438.	भरतपुर	श्री दिनेशचन्द	438	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
439.	भरतपुर	श्री जोगेद्र सिंह	439	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
440.	भरतपुर	श्री सफी खान	440	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
441.	भरतपुर	श्री चतर सिंह	441	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

442.	भरतपुर	श्री अमर सिंह	442	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
443.	भरतपुर	श्री विवेक कुमार	443	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
444.	भरतपुर	श्री राजेन्द्र	444	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
445.	भरतपुर	श्री विश्वेन्द्र जाटव	445	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
446.	भरतपुर	श्री गुरूचरन	446	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
447.	भरतपुर	श्री शशीन्द्र	447	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
448.	भरतपुर	श्री अशोक	448	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
449.	भरतपुर	श्री रम्मोसिंह	449	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
450.	भरतपुर	श्री सुनील कुमार	450	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
451.	भरतपुर	श्री सुनील कुमार	451	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
452.	भरतपुर	श्री हाकिम सिंह	452	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
453.	भरतपुर	श्री दुर्गेश	453	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
454.	भरतपुर	श्री छम्मेद सिंह	454	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
455.	भरतपुर	श्री सोनू कुमार	455	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
456.	भरतपुर	श्री छमेश कुमार	456	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
457.	भरतपुर	श्री अजय जाटव	457	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
458.	भरतपुर	श्री अनुप सैनी	458	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
459.	भरतपुर	श्री रामदेव गुर्जर	459	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
460.	भरतपुर	श्री छमेश कुमार	460	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
461.	भरतपुर	श्री धनेश कुमार	461	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
462.	भरतपुर	श्री ओमप्रकाश	462	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
463.	भरतपुर	श्री पंकज जाटव	463	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
464.	भरतपुर	श्री पप्पू	464	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
465.	भरतपुर	श्री निरंजन लाल मीना	465	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
466.	भरतपुर	श्री देव जैमन	466	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
467.	भरतपुर	श्री ब्रह्मानंद	467	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
468.	भरतपुर	श्री लोकेश सैनी	468	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
469.	भरतपुर	श्री रविशंकर	469	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
470.	भरतपुर	श्री राजकुमार	470	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
471.	भरतपुर	श्री लोकेश कुमार जाटव	471	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
472.	भरतपुर	श्री सतीश सैनी	472	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
473.	भरतपुर	श्री नरेश कुमार पाण्डे	473	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

474.	भरतपुर	श्री सतीश कुमार पाण्डे	474	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
475.	भरतपुर	श्री कपिल सैनी	475	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
476.	भरतपुर	श्री दीपक कुमार मीना	476	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
477.	भरतपुर	श्री लोकेश कुमार	477	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
478.	भरतपुर	श्री योगेश मीना	478	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
479.	भरतपुर	श्री कौशल	479	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
480.	भरतपुर	श्री रूप सिंह मीना	480	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
481.	भरतपुर	श्री मदनलाल सैनी	481	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
482.	भरतपुर	श्री जीतेन्द्र	482	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
483.	भरतपुर	श्री ओमप्रकाश सैनी	483	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
484.	भरतपुर	श्री सुरजीत सिंह	484	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता
485.	भरतपुर	श्री कौशल कुमार	485	स्वयंसेवक	हताहत सेवा	बचावकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

जिला भरतपुर/डीग में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों की संख्या

क्र. सं.	नाम नगरपालिका/नगरनिगम/नगर परिषद	तादाद
1.	नगर निगम भरतपुर	04
2.	नगरपालिका नदबई	02
3.	नगरपालिका बयाना	01
4.	नगरपालिका भुसावर	01
5.	नगरपालिका वैर	01
6.	नगरपालिका रूपवास	01
7.	नगरपालिका कुम्हेर	01
8.	नगरपरिषद डीग	01
9.	नगरपालिका कामां	01
10.	नगरपालिका नगर	01
11	एम्यूनिशन डिपो, भरतपुर	06
12	नगरपालिका सीकरी	01

Scanned with OKEN Scanner

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र. सं.	सामान का नाम	मात्रा
1.	Anchor	1
2.	Axe Hatch	1
3.	Blanket	9
4.	Cat Hook	1
5.	Chainsaw	1
6.	Compass & Map	1
7.	DCP Fire	3
8.	Emergency Spot Lite	1
9.	First Aid Kit	3
10.	Galvanised Bucket	3
11.	GPS	1
12.	Gumboot	10
13.	Inflatable Rescue baot	1
14.	Life Buoys	6
15.	Navigation Light Red	1
16.	Nylon Rope (10.5 mm)	1
17.	ORS and Oarlock	2
18.	Out Board Motor	1
19.	Paddle	2
20.	Park Picked Fancing	1
21.	Personal Floating Device	7
22.	Safety Gloves	10
23.	Safety Helmet	8
24.	Safety Google	8
25.	Solar Rechargeable Torch	7
26.	Throw Bag	1
27.	Tool Kit	1
28.	Walkie Talkie	2
29.	Structure	2
30.	Tent Medium Arcti	1
31.	बेल्चा मय हत्था	09
32.	स्टेचर कम्पलीट	07
33.	एक्सटेंशन लेडर 35 फुट	02
34.	पुली सिंघल/डबल लौहा	13
35.	लाईफ जैकेट	20
36.	बिलाई	02
37.	मेगाफोन	09

Scanned with OKEN Scanner

38	बोलेरो कैम्पर 4366	01
39.	रैस्क्यू ट्रक 6123	01
40.	लाल कम्बल	20
41.	नायलॉन रोप	1 बंडल
42.	नेट 10x10	11
43.	लाईफ ब्याएज	20
44.	ड्रिल मशीन	02
45.	ड्रैगन लाईट	14
46.	गैंती मय हत्था	01
47.	डिरोण्डर	10
48.	अरोण्डर	10
49.	चिपिंग हेमर	02
50.	स्लीपिंग बैग	08
51.	कैरा वीनर	12
52.	रोप लेडर	04
53.	गम बूट	12 पेयर
54.	फुल बॉडी हार्नेस	10
55.	हॉफ बॉडी हार्नेस	10
56.	ड्रॉन कम्पलीट मय सेट	01
57.	थर्मल पेलोड रात्री ड्रॉन कंमेरा	01
58.	Hand operated siren	04
59.	Safety goggles	08

Scanned with OKEN Scanner

जिला भरतपुर एवं डीग के संबंध में स्थापित हॉटलाईन का विवरण

क्रम संख्या	स्थापित हॉटलाईन का विवरण	दूरभाष नं
1.	आगरा एयरफोर्स स्टेशन एवं रिजनल सिविल डिफेंस कन्ट्रोल सेन्टर भरतपुर के मध्य	05644–299260
2.	रिजनल सिविल डिफेंस कन्ट्रोल सेन्टर भरतपुर एवं टाउन सिविल डिफेंस सेन्टर सवाईमाधोपुर के मध्य	05644–299134
3.	रिजनल सिविल डिफेंस कन्ट्रोल सेन्टर भरतपुर एवं टाउन सिविल डिफेंस सेन्टर धौलपुर के मध्य	05644–299136
4	रिजनल सिविल डिफेंस कन्ट्रोल सेन्टर भरतपुर एवं टाउन सिविल डिफेंस सेन्टर करौली के मध्य	05644–299135

भरतपुर में संचालित सायरनों का विवरण

क्रम संख्या	संचालित सायरन स्थान का विवरण	इलैक्ट्रिक ऑपरेटेड आधारित सायरन संख्या
1.	यातायात कन्ट्रोल रूम भरतपुर	01
2.	एफ.सी.आई गोदाम भरतपुर	01
3.	बस स्टैण्ड भरतपुर	01
4	कोतवाली थाना भरतपुर	01
5.	बी.एस.एन.एल भरतपुर	01
6	नगर निगम भरतपुर	01

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पालना में जिला स्तर पर क्रय किये गये उपकरणों की सूची

क्रमांक	क्रय उपकरण का नाम	मात्रा
1	Nylon Rope	20
2	Gum Boot	35
3	Tent Canvas	5
4	Multi Gas Detector	1
5	Full Body Harness	50
6	Half Body Harness (Seat Harness)	50
7	Mittens	50
8	Rappelling & Climbing Rope	20
9	Padded Seat Harness	10
10	Safety Goggles	50
11	Chemical Detector	1
12	Fire Extinguishers various type	10
13	Body Bag	20
14	Hand Operated Siren 3 KM	19
15	Electrical Siren 5 KM	20
16	Snack Catcher Stick	10
17	Life Jacket	50
18	Life Buoys Ring	25
19	Under Water Torch	15
20	Gas Cutter	2
21	Chemical Masks	15
22	Pocket Mask (CPR)	100
23	Solar Rechargeable Torch	13
24	Search & Rescue Camera	1
25	BOB Rope	50
26	Hydraulic Jack	5
27	Hand Gloves	350
28	Helmet With Torch	25
29	Gas Mask	5
30	Descender	10
31	Jumper\Ascender	10
32	Auto Locking Device	5
33	Manila Rope	20
34	Fiber Spine Board Full with Velcro	25
35	Folding Stretcher	35
36	Chemical Suit	2
37	Chemical Gloves	100
38	Search and Rescue Suit	4
39	Inflatable Rescue Boat along with 30 HP 2 Stroke OBM	1
40	Fire suit three layer, FPA boot & Light	4

Scanned with OKEN Scanner